

अंचल अधिकारी का कार्यालय, चन्द्रपुरा (बोकारो) ।

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1943 का नियम 129)

जिला- बोकारो, वाद संख्या 69 / 2013-2014

केस का प्रकार- अभीन मापी

आदेश की
कम सं०
और
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश नं०
दिनांक
तारीख

220613

आवेदक श्रीमती अनिशा बेगम, पति- मो० असलम असारि, साविन -
पिपराडीह, थाना - चन्द्रपुरा, अंचल - चन्द्रपुरा, जिला-बोकारो ने आवेदन पत्र देकर
निम्नांकित भूमि का मापी कर सिमांकन कराने का अनुरोध किया है:-
भूमि का विवरण:-

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा
पिपराडीह	107	24	100	0.01½ ए०

हल्का कर्मचारी को आदेश दिया जाता है कि राजस्व कागजातों का जाँच
कर जाँच प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करें ताकि अग्रतर कार्रवाई किया जा
सके।


अंचल अधिकारी,
चन्द्रपुरा।

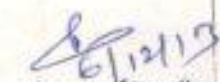
अभिलेख उपस्थापित। राजस्व कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है।
राजस्व कर्मचारी ने प्रतिवेदित किया है कि वर्णित भूमि मौजा - पिपराडीह, थाना
नं०-107, खाता नं०-24, प्लॉट नं० - 100 मध्ये रकबा- 0.01½ ए० सर्वे रैयती खाते
की है। जो आवेदिका की केवाला सं०-185, दिनांक-27.01.2005 द्वारा खरीदनी से
प्राप्त है। जिसका दाखिल खारिल केश सं०-399/05-06 के आदेशानुसार जमाबंदी
कायम है, रसीद जमाबंदी संख्या- 118/6 में निर्गत होती है। मापी हेतु अग्रतर
कार्रवाई करने की अनुशंसा कि गई है।

अंचल अमीन से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है कि इसकी मापी में एक दिन का
समय लग सकता है।

अतः आवेदक को आदेश दिया जाता है कि मुल 01 (ए०) दिन 11/11
शुल्क अंचल नजारेत में जमा करें, तत्पश्चात् सरकारी अमीन को मापी हेतु आदेश
निर्गत किया जाएगा।


अंचल अधिकारी,
चन्द्रपुरा।

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक ने अभीन शुल्क जमा किया है। अतः दिनांक
..... को मापी की तिथि निर्धारित की जाती है। आदेश निर्गत करें। संबंधित
पक्ष को प्रतिलिपि दें।


अंचल अधिकारी,
चन्द्रपुरा।

17.1.14

आवेदित जीवनी अगिथा वेगल ने डा. ७
मुल्क याद जमा किया गया है।
नवी देर दिनांक ३०.१.१५ से तिथि
निधारीत किया गया है।

खुशना गिरा ५८।

17.1.14
अ. आ. वि. वि.
प. २५५

सेवा में

विमान अंचल अधिकारी महोदय
पट्टपुरा

विषय :- विमान अविद्यावेगम पीत मो० असलम अंसारी स्त्री
पिपरडीह के खाना न० २५ (लैंड न० १०० रुकवा ०.०१
के मध्ये ०.०१½ की शीश का मापी प्रतिवेदन के सम्बंध में

सहायक
कार्य में के आर्पांक ५३ दिनांक १३.१.२०१४ के आदेशानुसार
दिनांक ३०.१.१४ को मापी स्थल पर गये। मापी स्थल पर आ
असलम अंसारी एवं निहित पक्ष के अपरेशन खाना पीत
मुख्यार अंसारी मौजूद थे। तथा प्रामाणिक जनता की उपस्थिति

सभी के समक्ष प्रथम पक्ष असलम अंसारी का जमीन
संस्थान कागजात का अवलोकन किया गया। पाया गया कि
श्री अपरेशन खाना पीत मो० मुख्यार श. पिपरडीह के खाना
(लैंड न० १०० रुकवा ०.०५ ई ए रजिस्ट्री पक्ष द्वारा दिनांक १४.३.२०
रजिस्ट्री किया गया है जिसका पक्ष न० ७॥ है। जिसका उक्त भूमि में
आ खाना पीत मुख्यार ने दिनांक २७.१.२००५ को रजिस्ट्री द्वारा
वेगम पीत मो० असलम के खाना न० २५ (लैंड न० १०० रुकवा ०.०१
विक्री किया गया है जिसका चीन निम्न प्रकार है (देखिये)
ए. परती जमीन पू. निज मोहिरा पर उरेशा खाना दर्ज है।

उक्त शर्त को सभी के समक्ष मापी किया गया। मापी से पाया
कि जो जमीन असलम के दिया गया है उस पर अपरेशन खाना
पीत मो० मुख्यार का मकान एवं बाउण्ड्री बना हुआ है। इसके अ
शेष जमीन खाली नहीं है।

अतः मापी प्रतिवेदन उचित कार्य पाई हुई प्रेषित।

विशवास भाजन

आ. नं०
अ. नं०
पट्टपुरा

50440
8
2/4/14